उत्तराखंड में खनन डिजीटल निगरानी प्रणाली की सफलता से जम्मू-कश्मीर प्रभावित

किच्छा, (पंजाब केसरी): उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भले ही विपक्ष सहित अपनी ही पार्टी के लोग अवैध खनन का आरोप लगा रहे हो लेकिन उत्तराखंड की खनन नीति जिसमें उत्तराखंड में खनन डिजीटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली की सफलता से प्रेरित होकर जम्मू कश्मीर इस तरह की उन्नत प्रणाली को अपने राज्य में लागू करने जा रही है।

इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रणाली का अध्ययन किया और खनन नीति की बारीकियों को समझने का प्रयास किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रणाली की जमकर तारीफ की और अपने राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड सरकार की नई खनन नीति से मृत पर्याय पड़े हल्द्वानी क्षेत्र के स्टोन क्रशरों को एक नई

● जम्मू कश्मीर सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रणाली का अध्ययन किया

संजीवनी प्राप्त हुई है। इस नीति से न सिर्फ सरकार का राजस्व बड़ा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बड़ा है।

जिसके फल स्वरुप सरकार को 2024-2025 में 22.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1040.57 करोड़ का रिकार्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। जबकि 2025-2026 की पहली तिमाही में विभाग ने 331.14 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। यह सब संभव हुआ है जब उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के इन नीतियों को धरातल पर अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश था कि किसी भी तरह का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा इंफोर्समेंट सेल और जिला स्तरीय खनन निगरानी इकाइयों के जरिए सरकार को पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन से 74.22 करोड़ रुपए की वसूली की गई। राज्य के खनन निदेशक राज्यपाल लेघा का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ खनन से राजस्व अर्जित करना ही नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि राज्य में खनन का कार्य पूरी पारदर्शिता ईमानदारी से हो।

राज्य में अवैध खनन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईमानदार कारोबारी को हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा।